

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/666

दिनांक: 20.01.2026

आदेश

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 513 दिनांक 07.11.1994 एवं 7127 दिनांक 04.01.2010 को अधिक्रमित करते हुए निर्दिष्ट किया जाता कि उक्त नियम में विहित किये गये ऐसे सभी प्रपत्र जो कि अभ्यर्थियों के उपयोग के हैं, उन्हें इच्छुक व्यक्तियों को निःशुल्क वितरित किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं तथा इन प्रपत्रों की छायाप्रति भी स्वीकार्य होंगी। साथ ही आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची के विक्रय मूल्य की दरें निर्धारित की गयी हैं जो निम्नानुसार हैं:-

1. मतदान केन्द्रों की सूची की दर - रु. 2/- प्रति पृष्ठ एक तरफ (प्रविष्टियों की संख्या की परवाह किये बिना प्रति पृष्ठ)
2. मतदान केन्द्रों की सूची की दर - रु. 4/- प्रति पृष्ठ दोनों तरफ (प्रविष्टियों की संख्या की परवाह किये बिना)

उपरोक्त दरों में कागज की लागत सम्मिलित है तथा विक्रय से प्राप्त राशि संबंधित नगरपालिका एवं पंचायत मद में जमा करवायी जाएगी।

भवदीय,


(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 20.01.2026

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/667-675

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।
7. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।
8. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।


(अम्बा लाल मिश्रा)
उपसचिव